राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1/2023

1. राजस्थान राज्य श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, प्रभारी अधिकारी पंजीकृत कार्यालय, चतुर्थ तल, नेहरू सहकार, भवानी सिंह रोड, जयपुर के माध्यम से। शाखा कार्यालय, मंडोर डिस्टिलरी, जोधपुर।
2. सरकार, आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अभय प्रकाश, उम्र लगभग 54 वर्ष, जाति माली (कछवाहा), निवासी नागोरी बेरा, मंडोर, जोधपुर।
2. रणवीर सिंह उर्फ रणवीर कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री अभय प्रकाश, उम्र लगभग 50 वर्ष, जाति माली (कछवाहा), निवासी नागोरी बेरा, मंडोर, जोधपुर।
3. रमेश कुमार सुथार पुत्र श्री गुलाबराम सुथार, उम्र लगभग 53 वर्ष, जाति सुथार, निवासी ओ.पी. भाटी खेम सिंह मार्केट, नयापुरा, मंडोर, जोधपुर।
4. जोधपुर विकास प्राधिकरण, आयुक्त के माध्यम से।
5. कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय न्यायालय परिसर, जोधपुर।
6. तहसीलदार, कार्यालय तहसील न्यायालय परिसर, जोधपुर।
7. उप रजिस्ट्रार चतुर्थ, जोधपुर।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री आनंद पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध सिंह शेखावत के साथ
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री एस.एम. परिहार श्री ओ.पी. मेहता श्री वी.डी. गौर

माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराना

<u>निर्णय</u>

29/03/2023

रिपोर्टेबल

1. वर्तमान अपील सिविल मूल प्रकरण संख्या 139/2022 में अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर मेट्रो द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत सिविल प्रक्रिया (सीपीसी) संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन किया गया है। जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 रणवीर सिंह @ रणवीर कुमार अनुमति दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री विलेख और स्थायी व्यादेश को रद्द करने के लिए वादी-अपीलार्थीगण का मुकदमा खारिज कर दिया गया है।

2. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद पुरोहित ने कहा कि निचली अदालत ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर किए गए आवेदन को स्वीकार करने में गंभीर गलती की है, जहां तक अदालत ने प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाए गए बचाव पर भरोसा किया है और साथ ही उनके द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ जिन पर आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत आवेदन का निपटान करते समय विचार नहीं किया जा सकता था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत एक आवेदन के निर्णय के लिए, वादी द्वारा वादी द्वारा दिए गए कथनों पर ही विचार किया जा सकता है और इससे अधिक कुछ नहीं। वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी के पास कार्रवाई का एक वैध कारण था जिसके लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया गया था और वादी द्वारा की गई दलीलों को किसी भी कानून द्वारा किसी भी कार्रवाई के कारण से रहित या वर्जित नहीं माना जा सकता है। इसलिए, आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए उपलब्ध कोई भी आधार वर्तमान मामले में नहीं बनाया गया था और आदेश पूरी तरह से अवैध और कानून के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाना चाहिए।

3. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा दायर किए गए वादपत्र को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे **पहले**, वर्तमान वादी के लिए कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ; **दूसरे**, मुकदमा विशेष रूप से कानून द्वारा वर्जित था, अर्थात परिसीमा का कानून; **तीसरा**,

विचाराधीन मुकदमा एक कृषि भूमि से संबंधित था और जब तक वादी को राजस्व न्यायालय से उक्त कृषि भूमि के बारे में अपने पक्ष में घोषणा नहीं मिल जाती, तब तक वर्तमान सिविल मुकदमा चलने योग्य नहीं हो सकता था और **चौथा**, प्रार्थना के अनुसार राहत नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वर्तमान मुकदमे में, राजस्व कार्यवाही वादी द्वारा वर्ष 1982 में ही शुरू कर दी गई थी और उसी राहत के लिए वर्तमान मुकदमे को कायम रखने योग्य नहीं माना जा सकता है।

4. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माना जाता है कि विचाराधीन भूमि एक कृषि भूमि थी, जिस पर वादी ने पहले ही राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया था और वह आज तक विचाराधीन है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त मुकदमा मूल रूप से कब्जे के लिए था लेकिन वर्ष 2021 में इसमें संशोधन की मांग की गई है और घोषणा की राहत के साथ-साथ व्यादेश को भी वाद में जोड़ने की अनुमति दी गई है। इसलिए, जब तक उक्त मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता और राजस्व न्यायालय द्वारा यह घोषित नहीं कर दिया जाता कि वादी विचाराधीन भूमि का हकदार है, तब तक विक्रय-पत्र को रद्द करने का वर्तमान मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

1. ***विजय सिंह एवं अन्य बनाम बुद्ध और अन्य; 2012(2) डीएनजे (राजस्थान) 573।***
2. ***रुक्मणि बनाम भोला एवं अन्य; 2012(4) आरएलडब्ल्यू 3050 (राजस्थान)।***
3. ***प्यारेलाल बनाम शुभेन्द्र पिलानिया (माइनर) के माध्यम से प्राकृतिक संरक्षक (पिता) श्री प्रदीप कुमार पिलानिया और अन्य; 2019 3 एससीसी 692।***
4. ***बगाराम और अन्य बनाम बालकिशन उर्फ बलरामकिशन एवं अन्य; एकलपीठ सिविल रिट याचिका क्रमांक 2117/2019 (निर्णय 16.05.2019)(राजस्थान)।***

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. वर्तमान मामले के निर्णय के लिए तथ्यों का संक्षिप्त विवरण आवश्यक है।

जैसा कि वादपत्र में कहा गया है, विवादित भूमि एक कृषि भूमि है जिसमें ग्राम मंडोर के खसरा संख्या 1217 की साढ़े तीन बीघा जमीन शामिल है। वर्ष 1943 में बी.के. इलावा नाम के ठेकेदार को राज्य द्वारा शराब बनाने का लाइसेंस दिया गया था। उक्त उद्देश्यों के लिए, विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक था और अधिग्रहण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन अधिग्रहण/मुआवजा के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान केवल ठेकेदार बी.के. इलावा द्वारा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा नहीं। इसलिए, ठेकेदार बी.के. इलावा के पक्ष में उसी वर्ष बापी पट्टा जारी किया गया था। माना जाता है कि उक्त भूमि का कुछ हिस्सा बाद में ठेकेदार बी.के. इलावा द्वारा प्रताप को किराए पर दे दिया गया था। एक जो भूमि पर खेती करता रहा। वर्ष 1955 में राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की शुरूआत के बाद, राजस्व प्रविष्टियाँ प्रताप के पक्ष में की गईं, प्रासंगिक समय पर वह भूमि के मालिक और कृषक थे। भूमि का नामांतरण प्रताप के पक्ष में और बाद में, उनकी मृत्यु के बाद, उनके विधिक प्रतिनिधियों के नाम पर कर दिया गया।

7. वर्ष 1982 में, राजस्थान राज्य श्रीगंगानगर शुगर मिल्स यानी वर्तमान वादी द्वारा प्रताप राम के खिलाफ कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, इस आधार पर कि जमीन ठेकेदार बी.के. इलावा द्वारा उसे अवैध रूप से किराए पर दी गई थी और राजस्व प्रविष्टियाँ राजस्व अधिकारियों द्वारा उसके पक्ष में गलत तरीके से की गईं। उक्त वाद में अस्थायी व्यादेश का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई और दूसरी अपील भी राजस्व मंडल द्वारा खारिज कर दी गई। कब्जे के लिए वर्ष 1982 में दायर मूल वाद आज तक लंबित बताया गया है।

8. इस बीच, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा प्रताप के विधिक प्रतिनिधि (पोते) होने के कारण वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 3-रमेश कुमार सुथार के पक्ष में दिनांक 11.07.2022 को एक पंजीकृत बिक्री-विलेख निष्पादित किया गया था। उपरोक्त तथ्यों में, वादी-राजस्थान राज्य श्रीगंगानगर शुगर मिल्स द्वारा विक्रय-विलेख दिनांक 11.07.2022 को रद्द करने के लिए वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है।

9. मुकदमे में, आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान निचली अदालत द्वारा आक्षेपित आदेश के तहत अनुमति दी गई है। आवेदन को इस विशिष्ट निष्कर्ष के साथ अनुमति दी गई है कि वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा कानून द्वारा वर्जित है और परिणामस्वरूप, मुकदमा खारिज कर दिया गया है। उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 17.11.2022 के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

10. पहला प्रश्न जो उठता है वह यह है कि क्या विद्वान निचली अदालत उन्हीं पक्षों से संबंधित मामलों में पारित राजस्व न्यायालय के पहले के आदेशों/निर्णयों पर विचार करने में सही था?

11. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान निचली अदालत ने राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों पर भरोसा किया है, जिस पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक विशिष्ट आपत्ति उठाई गई थी। **लक्ष्मी हाउसिंग उद्योग प्राइवेट लिमिटेड बनाम शरद सुब्रमण्यन और अन्य; 2016 (2) सीसीसी 188 (कैल) और डॉ. भरत पांडुरंग ढोकाने बनाम यशवेन्ट राव कंकरराव गडाख और अन्य; 1999 (4) एएलएमआर 632,** के मामलों में आदेशों/निर्णयों पर भरोसा करते हुए विद्वान निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त निर्णय निजी दस्तावेज नहीं थे और प्रकृति में सार्वजनिक थे और निश्चित रूप से 'सार्वजनिक दस्तावेजों' की श्रेणी में आते हैं और इसलिए, आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत आवेदन पर निर्णय के लिए इस पर विचार किया जा सकता है।

12. अपीलार्थीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधार पर आते हुए कि आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत एक आवेदन के निर्णय के लिए केवल वादी द्वारा वादपत्र की गई दलीलों पर विचार किया जा सकता है, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या निष्कर्ष जैसा कि विद्वान निचली अदालत द्वारा सुनाया गया है, वादी द्वारा वादपत्र में दिए गए कथनों पर आधारित है या नहीं। जहां तक भूमि अधिग्रहण एवं ठेकेदार खान बहादुर बी.के. इलावा द्वारा किये जा रहे मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में तथ्य है, संबंध है, इसे वादपत्र के पैरा संख्या 4 में निम्नानुसार निवेदन किया गया है:

"त्पश्चात वर्ष 1942-43 में डिसटलरी में पानी की कमी की पूर्ति के लिये एक अन्य प्रस्ताव पारित किया जिसमें डिस्टलरी के बिल्कुल समीप स्थित एक बेरा लाला वाला बेरा और उसके जाव (खेत) की भूमि को अवाप्त करने की योजना बनाई गई जिसमें ठेकेदार बी.के. इलावा ने बेरा लाला वाला की 8 से 11 बीघा भूमि को ही अवाप्त किया गया तत्पश्चात भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये लाला वाला बेरा की भूमि 21 बीघा 14 बिस्वा की सम्पूर्ण जमीन को आवाप्त कर लेने का प्रस्ताव पारित किया तथा राजस्व मंत्री ने उसका किराया बढ़ाकर 113/6 आना कर दिया एवं तत्पश्चात दिनांक 18/6/1943 को जोधपुर स्टेट गर्वनमेन्ट द्वारा बेरा जाव के पुराने खातेदारों को उसकी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया व उक्त भूमि को अवाप्त कर लिया गया।"

13. खान बहादुर बी.के. इलावा द्वारा प्रताप को भूमि समर्पित किये जाने के तथ्य के संबंध में, इसे वादपत्र के पैरा संख्या 6 में यह निवेदन किया गया है:

"6. यह है कि दिनांक 12/1/1949 को बी.के. इलावा द्वारा उक्त भूमि के बाबत नियमों की अवहेलना करते हुये उक्त भूमि को प्रताप नाम के व्यक्ति को इस शर्त पर दिया कि उक्त भूमि का किराया व सम्बन्धित राशिया प्रताप द्वारा राज्य सरकार में जमा करवाई जायेगी एवं इस भूमि पर जो भी फसल होगी उसकी देखरेख भी प्रताप द्वारा ही की जायेगी जब ठेकेदार चाहेगा तो उसे उक्त भूमि को छोड़ना होगा।"

14. खान बहादुर बी.के. इलावा द्वारा भुगतान की जा रही मुआवजा राशि के तथ्य के संबंध में, लाइसेंस रद्द करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा इल्लावा को पुर्न भुगतान नहीं किया गया है, इसे आगे पैरा संख्या 6 में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

"इस कारण दिनांक 15/2/1954 के पश्चात समस्त डिस्टलरी कार्गो की राशि घटती दर में तथा मुआवजे की राशि रूपये 7257/6 का पुर्नभुगतान मूल ठेकेदार बी.के. इलावा को किया जाना था परन्तु

उसके यहां नहीं होने के चलते उपरोक्त वर्णित राशि बी.के. इलावा द्वारा प्राप्त किया जाना संभव नहीं था और उक्त राशि उसके द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने की सूरत में त्याज्य की श्रेणी में मानी गई थी। यहां यह लिखना उचित व तर्क संगत होगा कि बी.के. इलावा को उक्त ठेके की भूमि को उप ठेकेदारी पर देने का कानूनन कत्तई कोई हक व अधिकार हासिल नहीं था लेकिन उसके द्वारा उक्त भूमि बिना सक्षम प्राधिकारी को सूचना दिये उप ठेके पर दी गई ऐसी स्थिति में उक्त राशि से सम्बन्धित उप ठेकेदार को दिया जाना किसी भी रूप में न्यायसंगत एवं विधिसंगत नहीं था।"

15. विभाग द्वारा पूर्व में विभिन्न चरणों में शुरू की गई राजस्व कार्यवाही के तथ्य को भी वादपत्र के पैरा संख्या 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसे वादपत्र में पैरा संख्या 12 में निम्नानुसार स्वीकार किया गया है:

"12. यह है कि राज्य सरकार ने राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स संख्या 61/86/LR/जोधपुर पेश कर नामान्तरकरण दिनांक 27/12/1976 एवं क्रमांक 199 दिनांक 01/7/1976 को निरस्त करने का निवेदन किया, जिसे राजस्व मण्डल ने दिनांक 5/11/1992 के आधार पर खारिज कर दिया कि मूल दावा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था उसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डी में विचाराधीन थी अतः उसी भूमि के लिए संदर्भ स्वीकार नहीं की जा सकती थी। राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5/11/1992 के विरूद्ध एकलपीठ सिविल याचिका संख्या 2012-2013 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की जो दिनांक 13/01/1997 को खारिज की गई एवं राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 5/11/1992 को उचित माना गया, जिसके विरूद्ध विशेष अपील संख्या 352/1997 दायर की गई, जिसके द्वारा भी एकलपीठ के निर्णय को उचित मानकर उक्त विशेष अपील को भी खारिज कर दिया गया।"

16. इसके अलावा मुआवजे के लिए और राजस्व प्रविष्टियों को रद्द करने के लिए दायर किए गए और लंबित होने के तथ्य को भी विशेष रूप से वादपत्र के पैरा संख्या 15 में प्रस्तुत किया गया है:

> "15. यह है कि वादीगण द्वारा एक दावा इस्तकरार दिला पाने, कब्जा व रद्द करने नामान्तरकरण व अन्य राजस्व तहरीरे, दिला पाने हर्जाना व हुक्म इमतनाई दवामी दफा 16, 91, 92-ए, 179, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 90 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान सहायक कलेक्टर जोधपुर में अभयप्रकाश के समस्त वारिसान के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो मौजूदा में विचाराधीन है।"

17. इसका अर्थ यह है कि वादी द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों पर विद्वान निचली अदालत द्वारा विचार किया गया है। जहां तक राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों पर निर्भरता का सवाल है, इस न्यायालय की विशिष्ट राय है कि उक्त आदेश/निर्णय उन कार्यवाही में पारित किए गए थे जिन्हें वादी ने वाद में स्वीकार किया है। एकमात्र तथ्य यह है कि उक्त आदेश/निर्णय प्रत्यर्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, न कि वादी द्वारा, अदालत को उन पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता है। माना जाता है कि, अदालतों द्वारा पारित आदेश/निर्णय सार्वजनिक दस्तावेज हैं और प्रत्यर्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर रखे जाने के बावजूद, सीपीसी के आदेश VI नियम 11 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय अदालत द्वारा निश्चित रूप से इस पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, उक्त आदेशों/निर्णयों के पारित होने का तथ्य, वादी द्वारा स्वयं वादपत्र में विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है।

18. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट है कि समान पक्षों के बीच राजस्व न्यायालय के समक्ष पिछली कार्यवाही एक ही विवाद और उसी भूमि से संबंधित थी। समान पक्षों और समान विवाद के बीच मुकदमे में राजस्व न्यायालय के निष्कर्ष को सिविल न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उक्त आदेश/निर्णय प्रत्यर्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए थे, न

कि वादी द्वारा। जैसा कि **अन्नंत पाल सिंह बनाम सुमेर सिंह; 2017 1 डीएनजे 1,** में अभिनिर्धारित है, न्यायिक अधिकारियों के समक्ष तथ्य स्वीकार करना पवित्र प्रकृति का है और यदि उन्हें उचित महत्व नहीं दिया जाता है तो मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं हो सकता है। उक्त मामले में न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि क्या आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय किसी अदालत के समक्ष कुछ पिछली कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर विचार किया जा सकता है:

> *"दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो इस न्यायालय का विचार है कि तुच्छ और कष्टप्रद मुकदमों और मुकदमेबाजी को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए और भले ही आदेश 7, नियम 11 के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से कवर न किया गया हो, उन्हें सीपीसी की धारा 151 के तहत खारिज कर दिया जाए। वादी द्वारा प्रस्तुत गोद लेने की तुच्छ और काल्पनिक दलील, जो पूरे मुकदमे की नींव है, पर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायिक कार्यवाही में उनकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति और वह भी बहुत पहले, को हल्के में नहीं लिया जा सकता। न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष तथ्यों की स्वीकारोक्ति पवित्र प्रकृति की होती है और यदि उन्हें उचित महत्व नहीं दिया जाता है तो मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं हो सकता है। अदालतें झूठी और निरर्थक दलीलों से भरी पड़ी हैं और इनसे कठोरता और दृढ़ हाथों से निपटने की आवश्यकता है। इस प्रकार, वादी-प्रत्यर्थी का मुकदमा तुच्छ और कष्टप्रद होने के कारण धारा 151 सीपीसी के तहत भी खारिज किया जा सकता था।*

19. **पुखराज सोनी बनाम निशा सितलांगिया; एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या 103/2018 (24.10.2018 को निर्णय)** के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने **ठाकुर श्री मथुरादासजी छोटा भंडार मंदिर बनाम श्री कन्हैयालाल एवं अन्य; (2008) 4 सीआईवीसीसी 133,** के पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"मुकदमेबाजी का सामना करने और उसकी पीड़ा को लम्बा खींचने*

में प्रतिद्वंद्वी के अधिकारों की रक्षा के लिए तुच्छ मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में, आदेश 7 सीपीसी के नियम 11 के विभिन्न खंडों के तहत उपलब्ध आधारों के अभाव में भी न्यायालय धारा 151 सीपीसी के तहत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

20. उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए और मामले के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों पर विद्वान निचली अदालत की निर्भरता को अवांछित नहीं कहा जा सकता है। यह निश्चित रूप से सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश VII नियम 11 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में था।

21. अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि क्या विद्वान निचली अदालत यह मानने में सही थी कि कब्जे और व्यादेश के लिए वर्तमान मुकदमा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए राजस्व अदालत के समक्ष वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे के बिना सुनवाई योग्य नहीं था, ***प्यारेलाल*** (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में उक्त मुद्दे पर न्यायालय के निष्कर्ष में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले के निर्णय पर विचार करते हुए विशेष रूप से निम्नानुसार कहा:

> *"एक दावेदार जिसके खातेदारी अधिकारों पर राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया है, वह उस दावेदार से अलग स्तर पर है जिसके खातेदारी अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए लंबित हैं। जहां खातेदारी अधिकार अभी तय नहीं हुए हैं, वहां दावेदार को पहले राजस्व न्यायालयों से संपर्क करना होगा। उपहार विलेख को निष्क्रिय घोषित करने और प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 से 5 को सिविल कोर्ट में निहित संपत्ति में हस्तक्षेप करने या उसे अलग करने से रोकने की राहत एक दावेदार द्वारा एक मुकदमे में मांगी जा सकती है, जिसमें राजस्व न्यायालय*

द्वारा खातेदारी अधिकारों का निर्णय किया गया है। ।

22. विद्वान निचली अदालत भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राजस्व न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी व्यादेश के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था और राजस्व बोर्ड द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद उक्त आदेश सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम हो गया था। इसके अलावा विद्वान निचली अदालत द्वारा विशेष रूप से इस पर विचार किया गया है कि राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 16, 91, 92ए, 179 और 183 और राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 के तहत मुकदमा पहले ही वादी द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष दायर किया जा चुका है और वह आज तक विचाराधीन था। उक्त मुकदमे में, वादी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए राहत की विशेष रूप से प्रार्थना की गई थी और इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के साथ-साथ कब्जे के लिए भी राहत की प्रार्थना की गई है। इसलिए, जब तक कि पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण करने वाले राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमे का निर्णय नहीं किया जाता है, तब तक विक्रय-पत्र को रद्द करने का वर्तमान मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं माना जा सकता है।

23. इस न्यायालय की विशिष्ट राय में, विद्वान निचली अदालत, पूर्ववर्ती कानून के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, सही निष्कर्ष पर पहुंचा है। उपरोक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात यह स्पष्ट करता है कि जहां खातेदारी अधिकार अभी तक निर्धारित/घोषित नहीं किए गए हैं, वहां एक पक्ष को पहले राजस्व न्यायालयों से संपर्क करना होगा। उक्त घोषणा के बाद ही परिणामी राहत के लिए किसी भी मुकदमे पर सिविल न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है।

24. अंतिम मुद्दे पर आते हैं कि क्या वर्तमान वादी की ओर से मुकदमा, जो उस विक्रय पत्र का पक्षकार नहीं था, जिसे रद्द करने की मांग की गई है, को वादी के कहने पर सुनवाई योग्य माना जा सकता है या नहीं, विद्वान न्यायालय ने **सुहृद सिंह उर्फ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य; एआईआर 2010 उच्चतम न्यायालय 2807,** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें अभिनिर्धारित अनुपात इस प्रकार था:

"जहां किसी विलेख का निष्पादक चाहता है कि इसे रद्द कर दिया जाए, तो उसे विलेख को रद्द करने की मांग करनी होगी। लेकिन यदि कोई गैर-निष्पादक किसी विलेख को रद्द करना चाहता है, तो उसे यह घोषणा करनी होगी कि विलेख अमान्य है, या गैर-विधिक है, या अवैध है या यह उस पर बाध्यकारी नहीं है।

25. रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान वादी उस विक्रय-पत्र का पक्षकार नहीं था, जिसे रद्द करने की मांग की गई है। इसका मतलब यह है कि वह उस दस्तावेज़ का निष्पादक नहीं था जिसे रद्द करने की मांग की गई है।

26. कानून के स्थापित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वादी के आदेश पर वर्तमान मुकदमा उक्त आधार पर भी सुनवाई नहीं था।

27. उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, विद्वान निचली अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप के लायक नहीं हैं और इसकी पुष्टि की जाती है। परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

28. स्थगन याचिका और अन्य सभी लंबित आवेदन भी खारिज किये जाते हैं। लागत के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

(रेखा बोराना), न्यायमूर्ति

81-T.Singh/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।